

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव, (छ0ग0)
दांडिक कार्य-विभाजन आदेश वर्ष 2017

क्रमांक क/मु0न्या0मजि0/2017

राजनांदगांव दिनांक- 27/01/2017

मैं कुमारी मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में जारी किए गए पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल/राजस्व जिला राजनांदगांव में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का पुनः विभाजन निम्नानुसार करती हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :-

क्र0	अधिकारी का नाम पदनाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
01	कुमारी मोहनी कंवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, लालबाग, यातायात राजनांदगांव, जी0आर0पी0 राजनांदगांव	(1) आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, लालबाग, यातायात थाना राजनांदगांव एवं जी0आर0पी0 राजनांदगांव से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का (धारा 376, 354, 354-ए, बी, सी, डी 509 भा0दं0वि0 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) निराकरण करना तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त थाना क्षेत्रों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों एवं उपरोक्त पुलिस थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा एवं खारिजी के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) आबकारी वृत्त राजनांदगांव "अ" एवं "ब", घुमका, चिचोला, डोंगरगांव से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना (3) सिविल जिला राजनांदगांव के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ऐसे अपराध जिनमें किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया है के अपराध का संज्ञान लेने एवं विचारण की अनन्यतः क्षेत्राधिकारिता केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगी। (4) इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राजनांदगांव तहसील

			<p>क्षेत्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त प्रकरण एवं थाना लालबाग, ओपीओ चिखली के अंतर्गत उद्भूत होने वाले, नगर पालिका अधिनियम के प्रकरण, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, नापतौल अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, दुकान स्थापना तथा अन्य स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्र, इस्तगासा के प्रकरण लेकर विचारण करने की अनन्यतः क्षेत्राधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को रहेगी।</p> <p>(5)</p> <p>आरक्षी केन्द्र औंधी, अम्बागढ चौकी, सोमनी,, डोंगरगांव डोंगरगढ, बोरतलाव, ओपीओ चिचोला, बागनदी, मानपुर, मोहला, घुमका, छुरिया, गैदाटोला, खडगाँव, सीतागाँव, मदनवाडा, चिल्हाटी, तेरेगाँव (कोहका) से उद्भूत होने वाले 5 बल्क लीटर से अधिक के आबकारी से संबंधित प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।</p> <p>(6)</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ, माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।</p>
02	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छोगा)	बसंतपुर, छुरिया, ओपीओ चिचोला, आरटीओ राजनांदगांव, बागनदी, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव एवं अजाक थाना	<p>(1)</p> <p>कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थानों से संबंधित समस्त आपराधिक <u>धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी 509 भा0दं0वि0 व धारा 376 भा0दं0सं0 के प्रकरणों को छोडकर</u> एवं परिवाद प्रकरण <u>(पाँच बल्क लीटर से अधिक के उद्भूत आबकारी अधिनियम के प्रकरणों को छोडकर)</u> एवं राजनांदगांव तहसील से उत्पन्न होने वाले एवं अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के आपराधिक एवं परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना तथा कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थानों से संबंधित समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली, लालबाग, बसंतपुर, छुरिया, ओपीओ चिचोला, बागनदी</p>

			<p>(वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर) राजनांदगांव तहसील से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलु हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना ।</p> <p>(3)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली, लालबाग, बसंतपुर, सोमनी, डोंगरगाँव, आरक्षी केन्द्र गैदाटोला, घुमका, छुरिया, ओपीओचिचोला, बागनदी (वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर) राजनांदगांव तहसील से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>(4)</p> <p>माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना ।</p>
03	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छोगो)	आरक्षी केन्द्र घुमका	<p>(1)</p> <p>कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थाना क्षेत्र से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न होने वाले <u>(पाँच बल्क लीटर से अधिक उद्भूत प्रकरणों को छोडकर)</u> शेष आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद एवं खात्मा खारिजी का निराकरण करना ।</p> <p>(2)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली, लालबाग, बसंतपुर, सोमनी, डोंगरगाँव, ओपीओ चिचोला, छुरिया, जीओआरओपी राजनांदगांव, घुमका, गैदाटोला, बागनदी के (वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर) से उत्पन्न होने वाले <u>धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी 509 भाओदंविओ</u> से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना तथा उक्त थानों से उत्पन्न होने वाले <u>धारा 376 भाओदंसंओ</u> से संबंधित प्रकरणों का रिमांड संबंधी कार्यवाही करते हुये विधि एवं प्रकिया अनुसार माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित करना ।</p>

			<p>(3) कॉलम नंबर 03 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलु हिंसा एवं प्रताड़ना अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
04	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र डोंगरगांव	<p>(1) कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थाना क्षेत्र से संबंधित आपराधिक (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी 509 भा0दं0वि0 व धारा 376 भा0दं0सं0 के प्रकरणों को छोडकर) एवं उक्त थाने से उत्पन्न होने वाले (पाँच बल्क लीटर से अधिक उदभूत प्रकरणों को छोडकर) शेष आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवार एवं खात्मा खारिजी का निराकरण करना।</p> <p>(2) कॉलम नंबर 03 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलु हिंसा एवं प्रताड़ना अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) आरक्षी केन्द्र लालबाग, जी0आर0पी0 राजनांदगांव के क्षेत्राधिकार के परिवार प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
05	श्री निक्सन डेविड लकडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र सोमनी, गैंदाटोला	<p>(1) कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थाना क्षेत्र से संबंधित आपराधिक (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी 509 भा0दं0वि0 व धारा 376 भा0दं0सं0 के प्रकरणों को छोडकर) एवं उक्त थाने से उत्पन्न होने वाले (पाँच बल्क लीटर से अधिक उदभूत प्रकरणों को छोडकर) शेष आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवार एवं खात्मा खारिजी का निराकरण करना।</p>

			<p align="center">(2)</p> <p>कॉलम नंबर 03 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p align="center">(3)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ०पी० चिखली के क्षेत्राधिकार के परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p align="center">(4)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
06	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, राजनांदगांव (छ०ग०)	-	<p align="center">(1)</p> <p>माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
07	श्री राकेश कुमार सोम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	आरक्षी केन्द्र खैरागढ़ ओ०पी० जालबांधा एवं गातापार, डोंगरगढ़	<p align="center">(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र खैरागढ़, ओ०पी० जालबांधा एवं गातापार (<u>खैरागढ़ विकासखंड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों सहित</u>) एवं <u>डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं</u>), से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम एवं परिवाद प्रकरणों सहित सभी आपराधिक प्रकरण जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, (<u>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोड़कर</u>) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p align="center">(2)</p> <p>पुलिस थाना खैरागढ़, ओ०पी० जालबांधा, गातापार, क्षेत्र से उद्भूत होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p align="center">(3)</p> <p>थाना छुईखदान, गंडई, सालहेवारा, गातापार से उत्पन्न होने वाले 5 बल्क लीटर से अधिक आबकारी</p>

			<p>अधिनियम से संबंधित प्रकरण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।</p> <p>(4)</p> <p>थाना खैरागढ, ओपी०जालबांधा, गातापार, क्षेत्र से उद्भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के समस्त परिवाद/मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(5)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
08	<p>श्रीमती श्वेता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)</p>	<p>आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा</p>	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा से उत्पन्न होने वाले <u>(खैरागढ विकासखंड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोडकर तथा आबकारी अधिनियम 5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोडकर)</u> समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, <u>(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोडकर)</u> का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>पुलिस थाना छुईखदान, गंडई, बकरकट्टा, साल्हेवारा, क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>थाना छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 <u>(खैरागढ विकासखंड एवं तहसील</u></p>

			सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोड़कर) के समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।
09	श्री डमरूधर चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ, बोरतलाव, जी0आर0पी0 डोंगरगढ, बागनदी एवं ओ0पी0 चिचोला	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ, बोरतलाव, जी0आर0पी0 डोंगरगढ तथा बागनदी एवं ओ0पी0चिचोला के जो क्षेत्र डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं एवं खैरागढ राजस्व तहसील में आने वाले गांवों को छोड़कर उक्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम (5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर) के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों सहित समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोड़कर) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>उपरोक्त थाना क्षेत्रों जो डोंगरगढ राजस्व तहसील में आते हैं से उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 दंड प्रक्रिया संहिता समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>डोंगरगढ तहसील क्षेत्र तथा डोंगरगढ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ, जी0आर0पी0 डोंगरगढ, तथा बागनदी के वे क्षेत्र जो डोंगरगढ राजस्व तहसील में आते हैं एवं खैरागढ राजस्व तहसील में आने वाले गांवों को छोड़कर से उत्पन्न होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना साथ ही डोंगरगढ न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम के तथा वन- अधिनियम चलचित्र अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नापतोल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोड़कर) के प्रकरणों का</p>

			<p>निराकरण करना।</p> <p>(5)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
10	<p>श्रीमती मोनिका जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)</p>	<p>अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, औंधी, खडगांव, मदनवाडा, चिल्हाटी, सीतागांव, तेरेगांव (कोहका)</p>	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, औंधी, खडगांव, मदनवाडा, चिल्हाटी एवं सीतागांव, तेरेगांव (कोहका), क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोडकर) सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरणों, एवं परिवाद प्रकरणों तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के समस्त परिवाद मामलों एवं आपराधिक प्रकरणों जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>उपरोक्त थाना क्षेत्रों एवं तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 दण्ड प्रकिया संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>5 बल्क लीटर से अधिक उदभूत प्रकरणों को छोडकर शेष आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रकरणों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, वन अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, नाप-तौल अधिनियम एवं समस्त स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोगपत्रों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोडकर) के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

टिप्पणी :-

- (01) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (02) अन्य किसी प्रकार के शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।
- (03) राजनांदगांव मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य स्थानों में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से विहित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए, जो दैनिक न्यायालयीन कार्य को प्रभावित किए बिना किया जावेगा, चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।
- (04) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय कार्य पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य जिसमें रिमान्ड, वारंट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा आवेदन का निराकरण जमानत आवेदन पत्र का निराकरण एवं त्वरित सुनवाई के आवेदन पत्र का निराकरण, कार्य व्यवस्था के अनुसार किया जावेगा।
- (05) अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय के थाना क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले का अभियोगपत्र लेकर अंतिम निराकरण, शामिल नहीं है, परंतु भा0दं0सं0 की धारा 279, 337, 338 एवं सहपठित मोटर यान अधिनियम के ऐसे प्रकरण जिसमें अभियुक्त/आरोपी राजनांदगांव जिले से अन्य जिले का निवासी है अथवा छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्य का निवासी है और स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है मात्र उन्हीं प्रकरणों का अभियोगपत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।
- (06) उपरोक्तानुसार टीप की कंडिका (06) के तहत निराकरण करते समय ध्यान रखे कि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468(2) के उपबंधों की अवहेलना नहीं हो।
- (07) स्थायी वारंट से जिस थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी प्रस्तुत होते हैं, वर्तमान में उक्त थाना क्षेत्र जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य विभाजन में प्रदत्त है उनके समक्ष पेश किया जावेगा।

दिनांक - 27/01/2017

स्थान - राजनांदगांव

(कुमारी मोहनी कल) 14/2/17
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)

अनुमोदित ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ.ग.)
31-1-2017

धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ

उक्त धारा से संबंधित कथन एवं संस्वीकृतियाँ निम्नानुसार संबंधित न्यायालय में दर्ज किए जावेंगे एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना विधिवत प्रेषित करेंगे।

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य का विभाजन
1	2	3	4
1	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	-	(1) आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ०पी० चिखली, लालबाग, बसंतपुर, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव, जी०आर०पी० राजनांदगांव, सोमनी, बागनदी, एवं अजाक थाना से उत्पन्न होने वाले धारा <u>354, 354-ए,बी,सी,डी 509</u> व धारा 376 भा०द०सं० एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित धारा 164 दं०प्र०सं० के कथन लेना
2	सुश्री शुभदा गोयलें, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ०पी० चिखली, बागनदी	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं०प्र०सं० के कथन लेना (<u>धारा 354, 354-ए,बी,सी,डी 509</u> व धारा 376 भा०द०सं० एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)
3	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	लालबाग, बसंतपुर, सोमनी, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव, जी०आर०पी० राजनांदगांव, अजाक थाना	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं०प्र०सं० के कथन लेना (<u>धारा 354, 354-ए,बी,सी,डी 509</u> व धारा 376 भा०द०सं० एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)
4	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव	आरक्षी केन्द्र अंबागढ चौकी, मोहला, मानपुर, खडगांव, चिल्हाटी, सीतागांव, तेरेगांव, (कोहका)	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं०प्र०सं० के कथन लेना

5	श्री राकेश कुमार सोम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा, ढ जुमका, डोंगरगढ़, बोरतलाव, जी0आर0पी0 डोंगरगढ़	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
6	श्रीमती श्वेता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	खैरागढ़, ओ0पी0 जालबांधा एवं गातापार	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
7	श्रीमती मोनिका जायंसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	ओ0पी0 चिचोला, छुरिया, डोंगरगांव, गैदाटोला	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना

दिनांक - 27/01/2017
स्थान - राजनांदगांव

(कुमारी माहनी) कप्र 12/2017
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)

संलग्न परिशिष्ट "ए" एवं "बी"

परिशिष्ट - " ए "

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में " अत्यावश्यक " आपराधिक कार्य निम्नानुसार सम्पादित किया जावेगा।

क्र०	नाम एवं पदनाम	प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
01	कुमारी मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव (छ०ग०)	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
02	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
03	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,
04	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,
05	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,
06	श्री राकेश कुमार सोम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	श्रीमती श्वेता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,

07	श्रीमती श्वेता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री राकेश कुमार सोम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
08	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री राकेश कुमार सोम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	श्रीमती श्वेता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
09	श्रीमती मोनिका जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ चौकी जिला राजनांदगांव	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
10	श्रीमती शांति प्रभु, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी राजनांदगांव	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव

टीप :-

(01) नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में प्रभार लेने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तदनुसार कार्य करेंगे।

(02) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(03) उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार प्रथम प्रभार एवं द्वितीय प्रभार के दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि अवकाश पर रहते हैं, तब अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के तहत कार्य संपादन किया जावेगा।

दिनांक - 27/01/2017

स्थान - राजनांदगांव

(कुमारी मोहनी कौर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)

धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन एवं संस्वीकृतियां

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा में धारा 164 दंडप्र0सं0 के तहत कथन निम्नानुसार लिया जायेगा

क्र0	नाम एवं पदनाम	प्रभारी मजिस्ट्रेट	द्वितीय प्रभार
1	2	3	4
01	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,, राजनांदगांव (छ0ग0)
02	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)
03	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,, राजनांदगांव (छ0ग0)
04	श्री निकसन डेविड लकडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	सुश्री शुभदा गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)
05	श्री. राकेश कुमार सोम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
06	श्रीमती श्वेता उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
07	श्रीमती मोनिका जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री महेश बाबू साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

दिनांक - 27/01/2017

स्थान - राजनांदगांव

(कुमारी मोहनी कवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव (छ०ग०)

// दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2017 में आंशिक संशोधन //

कमांक क/मु०न्या०म०/2017,

राजनांदगांव दिनांक 04/03/2017

मैं कुमारी मोहनी कंवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2017 में मेरे द्वारा जारी दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 27/01/2017 में पेज कमांक 10 में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों के संबंध में अनुकमांक 2 के कॉलम नं 4 में कंडिका-2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ०पी०चिखली, लालबाग, बसंतपुर, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव, जी०आर०पी० राजनांदगांव, सोमनी, बागनदी एवं अजाक थाना से उत्पन्न होने वाले किशोर न्याय बोर्ड राजनांदगांव से संबंधित मामलों में धारा 164 दं०प्र०सं० के तहत कथन दर्ज करना।

उपरोक्त संशोधन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

अनुमोदित ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ.ग.)
6-3-2017

(कुमारी मोहनी कंवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ०ग०)
13/3/2017

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव, (छ0ग0)
दांडिक कार्य-विभाजन संशोधित आदेश वर्ष 2017

कमांक क/मु0न्या0मजि0/2017

राजनांदगांव दिनांक- 01/05/2017

मैं कुमारी मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव, दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में जारी किए गए पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल/राजस्व जिला राजनांदगांव के सिविल न्यायालय डोंगरगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की नवीन पदस्थापना होने और जिला न्यायालय राजनांदगांव में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानांतरण होने से सिविल/जिला न्यायालय में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का पुनः विभाजन निम्नानुसार करती हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :-

क्र0	अधिकारी का नाम पदनाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
01	कुमारी मोहनी कंवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, लालबाग, सोमनी, यातायात राजनांदगांव, जी0आर0पी0 राजनांदगांव	(1) आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, लालबाग, सोमनी, यातायात थाना राजनांदगांव एवं जी0आर0पी0 राजनांदगांव से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का (धारा 376, 354, 354(ए.बी.सी.डी), 509 मा0दं0वि0 के अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) निराकरण करना तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त थाना क्षेत्रों से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों एवं उपरोक्त पुलिस थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा एवं खारिजी के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) आबकारी वृत्त राजनांदगांव "अ" एवं "ब", घुमका, चिचोला, डोंगरगांव से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना (3) सिविल जिला राजनांदगांव के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ऐसे अपराध जिनमें किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया है के अपराध का संज्ञान लेने एवं विचारण की अनन्यतः क्षेत्राधिकारिता केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगी। (4) इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में राजनांदगांव तहसील क्षेत्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त प्रकरण एवं नगर पालिका अधिनियम के प्रकरण, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण

		<p>अधिनियम, नापतौल अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, दुकान स्थापना तथा अन्य स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्र, इस्तगासा के प्रकरण लेकर विचारण करने की अनन्यतः क्षेत्राधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को रहेगी।</p> <p>(5)</p> <p>आरक्षी केन्द्र औंधी, अम्बागढ चौकी, सोमनी, डोंगरगांव डोंगरगढ, बोरतलाव, ओपीओ चिचोला, बागनदी, मानपुर, मोहला, घुमका, छुरिया, गैदाटोला, खडगाँव, सीतागाँव, मदनवाडा, चिल्हाटी, तेरेगाँव (कोहका) से उद्भूत होने वाले 5 बल्क लीटर से अधिक के आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे।</p> <p>(6)</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत संघ, माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।</p>
<p>02 श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छोगो)</p>	<p>बसंतपुर, छुरिया, ओपीओ चिचोला और बागनदी के (वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर), आरटीओ राजनांदगांव, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव एवं अजाक थाना</p>	<p>(1)</p> <p>कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थानों से संबंधित समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण (धारा 354, 354-ए.बी.सी.डी 509 भा०दं०वि० व धारा 376 भा०दं०सं० के प्रकरणों को छोडकर तथा पाँच बल्क लीटर से अधिक के उद्भूत आबकारी अधिनियम के प्रकरणों को छोडकर) एवं राजनांदगांव तहसील से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के आपराधिक एवं परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना तथा कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थानों से संबंधित समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली, लालबाग, बसंतपुर, सोमनी, छुरिया, ओपीओ चिचोला और बागनदी के (वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोडकर) राजनांदगांव तहसील से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलु हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली, लालबाग,</p>

			<p>बसंतपुर, सोमनी, डोंगरगाँव, आरक्षी केन्द्र गैदाटोला, घुमका, छुरिया, ओपीओचिचोला, बागनदी (वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) राजनांदगांव तहसील से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना</p> <p>(4)</p> <p>माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना।</p>
03	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छोगा)	आरक्षी केन्द्र डोंगरगांव	<p>(1)</p> <p>कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थाना क्षेत्र से संबंधित आपराधिक (धारा 354, 354-ए.बी.सी.डी 509 भा0दंवि0 व धारा 376 भा0दंसं0 के प्रकरणों को छोड़कर) एवं उक्त थाने से उत्पन्न होने वाले (पाँच बल्क लीटर से अधिक उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) शेष आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद एवं खात्मा खारिजी का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>कॉलम नंबर 03 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलु हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>आरक्षी केन्द्र लालबाग, जी0आर0पी0 राजनांदगांव, सोमनी, सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली के क्षेत्राधिकार के परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
04	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छोगा)	आरक्षी केन्द्र घुमका, गैदाटोला	<p>(1)</p> <p>कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थाना क्षेत्र से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न होने वाले (पाँच बल्क लीटर से अधिक उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) शेष आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों सहित उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद एवं खात्मा खारिजी का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओपीओ चिखली, लालबाग, बसंतपुर, सोमनी, डोंगरगाँव, छुरिया, जी0आर0पी</p>

			<p>राजनांदगांव, घुमका, गैदाटोला, ओ०पी० चिचोला और बागनदी के (वे क्षेत्र जो डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं से उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले धारा 354, 354-ए.बी.सी.डी 509 भा०दं०वि० से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण करना तथा उक्त थानों से उत्पन्न होने वाले धारा 376 भा०दं०सं० से संबंधित प्रकरणों का रिमांड संबंधी कार्यवाही करते हुये विधि एवं प्रक्रिया अनुसार माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित करना।</p> <p>(3)</p> <p>कॉलम नंबर 03 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
05	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	आरक्षी केन्द्र खैरागढ ओ०पी० जालबांधा एवं गातापार, डोंगरगढ	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र खैरागढ, ओ०पी० जालबांधा एवं गातापार (<u>खैरागढ विकासखंड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों सहित</u>) एवं डोंगरगढ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ तहसील में आते हैं, से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम एवं परिवाद प्रकरणों सहित सभी आपराधिक प्रकरण जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोड़कर) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>पुलिस थाना खैरागढ, ओ०पी० जालबांधा, गातापार, क्षेत्र से उद्भूत होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>थाना छुईखदान, गंडई, बकरकट्टा, साल्हेवारा, गातापार, ओ०पी० जालबांधा एवं डोंगरगढ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ तहसील में आते हैं, से उत्पन्न होने वाले 5 बल्क लीटर से अधिक आबकारी अधिनियम</p>

			<p>से संबंधित प्रकरण अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।</p> <p>(4)</p> <p>थाना खैरागढ, ओपी0जालबांधा, गातापार, क्षेत्र से उद्भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के समस्त परिवाद/मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(5)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
06	<p>सुश्री सुमन ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)</p>	<p>आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा</p>	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा से उत्पन्न होने वाले <u>(खैरागढ विकासखंड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोडकर तथा आबकारी अधिनियम 5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोडकर)</u> समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, <u>(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोडकर)</u> का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>पुलिस थाना छुईखदान, गंडई, बकरकट्टा, साल्हेवारा, क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>थाना छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881. <u>(खैरागढ विकासखंड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोडकर)</u> के समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
	श्री डमरूधर चौहान,	आरक्षी केन्द्र	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ, जी0आर0पी0 डोंगरगढ तथा</p>

07	<p>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)</p>	<p>डोंगरगढ,, जी0आर0पी0 डोंगरगढ, बागनदी एवं ओ0पी0 चिचोला</p>	<p>बागनदी एवं ओ0पी0चिचोला के जो क्षेत्र डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं एवं खैरागढ राजस्व तहसील में आने वाले गांवों को छोडकर उक्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम (5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोडकर) के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों सहित समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोडकर) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>उपरोक्त थाना क्षेत्रों जो डोंगरगढ राजस्व तहसील में आते हैं से उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 दंड प्रक्रिया संहिता समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित थानों जो कि डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं तथा डोंगरगढ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ, जी0आर0पी0 डोंगरगढ, तथा बागनदी के वे क्षेत्र जो डोंगरगढ राजस्व तहसील में आते हैं एवं खैरागढ राजस्व तहसील में आने वाले गांवों को छोडकर से उत्पन्न होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना साथ ही डोंगरगढ न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन- अधिनियम चलचित्र अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नापतोल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोडकर) के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
08	<p>श्री गिरीश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</p>	<p>आरक्षी केन्द्र बोरतलाव</p>	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र बोरतलाव के जो क्षेत्र डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं एवं खैरागढ राजस्व तहसील में आने वाले गांवों को छोडकर उक्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले</p>

<p>डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)</p>		<p>आबकारी अधिनियम (5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर) के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों सहित समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोड़कर) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>उपरोक्त थाना क्षेत्रों जो डोंगरगढ राजस्व तहसील में आते हैं से उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 दंड प्रक्रिया संहिता समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित थाना क्षेत्र जो कि डोंगरगढ तहसील क्षेत्र में आते हैं, से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>आरक्षी केन्द्र बोरतलाव क्षेत्रांतर्गत (खैरागढ राजस्व तहसील में आने वाले गांवों को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण करना साथ ही उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले वन- अधिनियम चलचित्र अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नापतोल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोड़कर) के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
<p>9 श्रीमती मोनिका जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)</p>	<p>अंबागढ चौकी, मोहला, मानपुर, औंधी, खडगांव, मदनवाडा, चिल्हाटी, सीतागांव, तेरेगांव (कोहका)</p>	<p>(1)</p> <p>आरक्षी केन्द्र अम्बागढ चौकी, मोहला, मानपुर, औंधी, खडगांव, मदनवाडा, चिल्हाटी एवं सीतागांव, तेरेगांव (कोहका), क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कार्य को छोड़कर) सभी प्रकार के आपराधिक प्रकरणों, एवं परिवाद प्रकरणों तथा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के समस्त परिवाद मामलों एवं आपराधिक प्रकरणों जिसमें घरेलू हिंसा एवं प्रताडना अधिनियम 2005 भी शामिल है, का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत</p>

		<p>किये जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2)</p> <p>उपरोक्त थाना क्षेत्रों एवं तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3)</p> <p>5 बल्क लीटर से अधिक उद्भूत प्रकरणों को छोड़कर शेष आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रकरणों, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, वन अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, नाप-तौल अधिनियम एवं समस्त स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोगपत्रों (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोड़कर) के तहत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4)</p> <p>श्रीमान सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के द्वारा समय समय पर सौंपे गए प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
--	--	---

टिप्पणी :-

- (01) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (02) अन्य किसी प्रकार के शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।
- (03) राजनांदगांव मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य स्थानों में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से विष्टित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए, जो दैनिक न्यायालयीन कार्य को प्रभावित किए बिना किया जावेगा, चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।
- (04) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय कार्य पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य जिसमें रिमान्ड, वारंट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा आवेदन का निराकरण जमानत आवेदन पत्र का निराकरण एवं त्वरित सुनवाई के आवेदन पत्र का निराकरण, कार्य व्यवस्था के अनुसार किया जावेगा।
- (05) अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय के थाना क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले का अभियोगपत्र लेकर अंतिम निराकरण, शामिल नहीं है, परंतु भा0द0सं0 की धारा 279, 337, 338 एवं सहपटित


मोटर यान अधिनियम के ऐसे प्रकरण जिसमें अभियुक्त/आरोपी राजनांदगांव जिले से अन्य जिले का निवासी है अथवा छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्य का निवासी है और स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहता है मात्र उन्हीं प्रकरणों का अभियोगपत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।

(06) उपरोक्तानुसार टीप की कंडिका (06) के तहत निराकरण करते समय ध्यान रखे कि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468(2) के उपबंधों की अवहेलना नहीं हो।

(07) स्थायी वारंट से जिस थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी प्रस्तुत होते हैं, वर्तमान में उक्त थाना क्षेत्र जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य विभाजन में प्रदत्त है उनके समक्ष पेश किया जावेगा।

दिनांक - 01/05/2017

स्थान - राजनांदगांव


 (कुमारी मोहनी कंवर)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 राजनांदगांव (छ0ग0)

धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ

उक्त धारा से संबंधित कथन एवं संस्वीकृतियां निम्नानुसार संबंधित न्यायालय में दर्ज किए जावेंग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना विधिवत प्रेषित करेंगें।

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य का विभाजन
1	2	3	4
1	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	-	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, लालबाग, बसंतपुर, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव, जी0आर0पी0 राजनांदगांव, सोमनी, बागनदी, एवं अजाक थाना से उत्पन्न होने वाले धारा 354, 354-ए,बी,सी,डी 509 व धारा 376 भा0दं0सं0 एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
2	श्री रमेश कुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव	1. लालबाग, बसंतपुर, सोमनी, जिला काइम ब्रांच राजनांदगांव, जी0आर0पी0 राजनांदगांव, अजाक 2. आरक्षी केन्द्र अंबागढ चौकी, मोहला, मानपुर,	(1) कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित क्रमांक 1 के आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना (धारा 354, 354-ए,बी,सी,डी 509 व 376 भा0दं0सं0 पाक्सो अधि0 2012 से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) (2) आरक्षी केन्द्र अंबागढ चौकी, मोहला, मानपुर,

		खडगांव, चिल्हाटी, सीतागांव, तेरेगांव, (कोहका)	खडगांव, चिल्हाटी, सीतागांव, तेरेगांव, (कोहका) के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
3	श्रीमती शांति प्रभु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, बागनदी	(1) कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना (धारा 354, 354-ए, बी, सी, डी 509 व 376 भा0दं0सं पाक्सो अधि0 2012 से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) (2) आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, ओ0पी0 चिखली, लालबाग, बसंतपुर, जिला काइम ब्राच राजनांदगांव, जी0आर0पी0 राजनांदगांव, रोमनी, बागनदी, एवं अजाक थाना से उत्पन्न होने वाले किशोर न्याय बोर्ड, राजनांदगांव से संबंधित मामलों में धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
4	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	छुईखदान, गंडई, सालहेवारा, बकरकट्टा, घुमका, डोंगरगढ़, जी0आर0पी0 डोंगरगढ़	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
5	सुश्री सुमन ध्रुव उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव	बोरतलाव, खैरागढ़, ओ0पी0 जालबांधा एवं गातापार	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना
6	श्रीमती मोनिका जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव	ओ0पी0 चिचोला, छुरिया, डोंगरगांव, गैदाटोला	कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन लेना

दिनांक - 01/05/2017

स्थान - राजनांदगांव

सेलक परिशिष्ट
"A एवं B"

अनुमोदित ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छ.ग.)

(कुमारी मोहनी कंवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)

परिशिष्ट - " ए "

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में " अत्यावश्यक " आपराधिक कार्य निम्नानुसार सम्पादित किया जावेगा।

क्र०	नाम एवं पदनाम	प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
01	कुमारी मोहनी कंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव (छ०ग०)	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,	श्री रमेश कुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
02	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,	श्री रमेश कुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	कुमारी मोहनी कंवर,, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव,
03	श्री रमेश कुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,	कुमारी मोहनी कंवर,, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव,
04	श्रीमती शांति प्रभु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्री रमेश कुमार चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव,	कुमारी मोहनी कंवर,, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव,
05	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	सुश्री सुमन ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	श्री गिरीश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव
06	सुश्री सुमन ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	श्री गिरीश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ जिला राजनांदगांव (छ०ग०)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव

07	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री गिरीश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	सुश्री सुगन धुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव
08	श्रीमती मोनिका जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ चौकी जिला राजनांदगांव	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,	श्रीमती शांति प्रभु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी राजनांदगांव	श्री रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव,
09	श्री गिरीश पाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी राजनांदगांव	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ, जिला राजनांदगांव	सुश्री सुगन धुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव

टीप :-


(01) नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में प्रभार लेने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तदनुसार कार्य करेंगे।

(02) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को, अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय श्रीमान सात्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(03) उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार प्रथम प्रभार एवं द्वितीय प्रभार के दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि अवकाश पर रहते हैं, तब अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के तहत कार्य संपादन किया जावेगा।

दिनांक - 01/05/2017

स्थान - राजनांदगांव


(कुमारी मोहनी कंवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)

संलग्न परिशिष्ट - "बी"


धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन एवं संस्वीकृतियां

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा में धारा 164 दंडप्र0सं0 के तहत कथन निम्नानुसार लिया जायेगा

क्र0	नाम एवं पदनाम	प्रभारी मजिस्ट्रेट	द्वितीय प्रभार
1	2	3	4
01	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़ जिला, राजनांदगांव (छ0ग0)
02	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)
03	श्रीमती शांति प्रभु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्रीमती रश्मि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव (छ0ग0)
04	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़ जिला, राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री गिरीश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, (छ0ग0)
05	सुश्री सुमन ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री रमेश कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव, (छ0ग0)
06	श्रीमती मोनिका जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री डमरूधर चौहान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)	श्री गिरीश पाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

दिनांक - 01/05/2017

स्थान - राजनांदगांव


(कुमारी मोहनी कंवर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजनांदगांव (छ0ग0)